

बिहार सरकार
अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०सं०-4 / निदे०छात्रा०संघा०(वे०आ०)46-05 / 2025- 342

प्रेषक,

निदेशक

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
जमुई, कैमूर एवं पूर्णियाँ।

पटना, दिनांक- 30/03/2026

विषय:—वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति कल्याण छात्रावासों में सृजित स्थायी पदों के संधारणार्थ वेतनादि एवं अन्य मदों में कुल में ₹7,20,000/- (सात लाख बीस हजार रु०) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति कल्याण छात्रावासों में सृजित स्थायी पदों के संधारणार्थ वेतनादि एवं अन्य मदों में पूर्व में विभागीय आवंटनादेश सं०-29 दिनांक-22.04.2025, आवंटनादेश सं०-237 दिनांक-28.11.2025 एवं आवंटनादेश सं०-274 दिनांक-06.01.2026 के द्वारा आवंटन दिया गया था।

उपरोक्त आवंटित राशि से संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारियों के द्वारा निम्न प्रकार से राशि प्रत्यार्पित की गई है, जिसे स्वीकार किया जाता है—

क्र० सं०	जिला का नाम	वेतन (01.01)	जीवन यापन भत्ता (01.03)	मकान किराया भत्ता (01.04)	चिकित्सा भत्ता (01.06)	कुल योग (3 से 6 तक)	विद्युत प्रभार (13.04)	सामग्री एवं पूर्तियों मद (27.02)	अनुरक्षण एवं मरम्मत (27.02)	संविदा सेवाएँ (28.02)	योग (7 से 11 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	भागलपुर	587651	147820	47771	13092	796334	300000	0	0	6740	18,99,408
2	पूर्णियाँ	0	0	0	0	0	1000000	900000	1000000	0	29,00,000
3	बांका	0	0	0	0	0	896314	440152	0	0	13,36,466
4	मुजफ्फरपुर	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	2,00,000
5	रोहतास	0	0	0	0	0	300300	0	0	1000000	13,00,300
	कुल	587651	147820	47771	13092	796334	2496614	1540152	1000000	1006740	76,36,174

2—उक्त प्रत्यार्पित राशि से जिलों से मांग के आलोक में वेतनादि एवं अन्य मदों में ₹7,20,000/- (सात लाख बीस हजार रु०) मात्र का अतिरिक्त आवंटन निम्न प्रकार है:—

क्र० सं०	जिला का नाम	वेतन (01.01)	संविदा सेवाएँ (28.02)	कुल योग
1	2	3	4	5
1	जमुई	0	6,00,000	6,00,000
2	कैमूर	0	1,00,000	1,00,000
3	पूर्णियाँ	20,000	0	20,000
	कुल	20,000	7,00,000	7,20,000

(सात लाख बीस हजार रु०) मात्र

3-कुल भारत व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष-2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में आय-व्यय मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष 02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-लघुशीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष- 0002-छात्रावासों का संधारण विषय शीर्ष-0003.01.01-वेतन भत्ता तथा 0003.28.02-संविदा सेवायें मांग सं0-44- विपत्र कोड संख्या-44-2225022770003 के अन्तर्गत विकलनीय है।

4- इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे जो निकासी की गयी राशि की व्यय विवरणी विभाग को उपलब्ध करायेंगे। संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

5- वित्त विभाग के पत्र सं0-2561, दिनांक-17.04.1998 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों एवं परिपत्रों के आलोक में निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

6- संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

7- इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दी जा रही है।

8- संबंधित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए किया जाएगा।

9-कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,
[Handwritten Signature]

निदेशक

ज्ञापांक-4/निदे0छात्रा0संधा0(वे0आ0)46-05/2025- 342

पटना, दिनांक - 30/03/2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी/संयुक्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सचिव कोषांग के विशेष कार्य पदाधिकारी, अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण एवं संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण/सांख्यिकी कोषांग, बजट शाखा/आई0टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Handwritten Signature]
निदेशक